



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2009/कार्तिक 1, 1931

No. 198]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2009/KARTIKA 1, 1931

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2009

फा. सं. एल-7/138(153)/2008-केविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 10 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन कंपनियों द्वारा तकनीकी ब्यौरों का प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2009 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. जानकारी का दिया जाना : प्रत्येक उत्पादन कंपनी, जो इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख को, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (क) या (ख) में निर्दिष्ट उत्पादन केंद्र का प्रचालन करती है तथा स्थापित करती है, उत्पादन केंद्र के प्रकार को यथा लागू इन विनियमों से संलग्न प्ररूप क, ख तथा ग में विहित अद्यतन ब्यौरे अपने स्वामित्वाधीन उत्पादन केंद्र के प्रत्येक प्रक्रम के लिए ऐसे ब्यौरों की साफ्ट प्रति सहित पृथक रूप से प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक वर्ष के 1 अप्रैल तक की प्रास्थिति उपदर्शित करते हुए, आयोग को प्रस्तुत करेगी :

परंतु यह कि इन विनियमों के प्रारंभ के पश्चात् उत्पादन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करने वाली उत्पादन कंपनी की दशा में, निर्दिष्ट ब्यौरों के साथ पहली रिपोर्ट उसके द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित उत्पादन केंद्र की पहली इकाई की प्रक्षेपित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के कम से कम तीन वर्ष पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।

आलोक कुमार, सचिव

[ विज्ञापन-III/4/असा./150/09 ]

प्ररूप - क

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 10 की उपधारा (3) के अनुपालन में उत्पादन कंपनियों

द्वारा फाइल किए जाने वाले तकनीकी ब्यौरे

कोयला/लिग्नाइट चालित थर्मल उत्पादन केंद्र

|       |  |         |                |
|-------|--|---------|----------------|
| 1     | उत्पादन कंपनी का नाम तथा पता   |         |                |
| 2     | उत्पादन केंद्र का नाम  |         |                |
| 3     | उत्पादन केंद्र का अवस्थान (जिला तथा राज्य)   |         |                |
| 4     | प्रकार   |         | कोयला/लिग्नाइट |
| 5     | विद्यमान/निष्पादनाधीन परियोजना की संस्थापित क्षमता तथा संरूपण (यूनिटों की संख्या x मेगावाट)                                |         |                |
| (i)   | यूनिट-1  | मेगावाट |                |
| (ii)  | यूनिट-2  | मेगावाट |                |
| (iii) | .....  | मेगावाट |                |
| (iv)  | .....  | मेगावाट |                |
| 6     | वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक/प्रत्याशित तारीख यूनिट-वार :   |         | दिन/मास/वर्ष   |
| (i)   | यूनिट-1  |         |                |
| (ii)  | यूनिट-2  |         |                |
| (iii) | .....  |         |                |
| (iv)  | .....  |         |                |
| 7     | प्रत्येक फायदाग्राही/प्रवर्ग के लिए संस्थापित क्षमता के प्रति निर्देश से प्रतिशतता अंश के साथ सहबद्ध फायदाग्राहियों/लक्ष्य |         |                |

|       |   |                                       |                                  |
|-------|---|---------------------------------------|----------------------------------|
|       | फायदाग्राहियों/व्यापारिक क्षमता के ब्यौरे                                 |                                       |                                  |
| (i)   | फायदाग्राही-1   | (%)                                   |                                  |
| (ii)  | फायदाग्राही-2   | (%)                                   |                                  |
| (iii) | .....   | (%)                                   |                                  |
| (iv)  | .....   | (%)                                   |                                  |
| 8     | सहबद्ध पारेषण प्रणाली या प्रस्तावित निष्क्रमण व्यवस्था                    |                                       |                                  |
| 9     | विनिर्माता का नाम   |                                       |                                  |
| (i)   | स्टीम जनरेटर  |                                       |                                  |
| (ii)  | स्टीम टर्बाइन   |                                       |                                  |
| (iii) | जनरेटर  |                                       |                                  |
| 10    | मुख्य ईंधन तथा स्रोत  |                                       | ..... देशी/आयातित                |
| (i)   | लिक्ड खान   |                                       |                                  |
| (ii)  | परिवहन की पद्धति  |                                       | एमजीआर/सड़क/समुद्र/रेल-सह-समुद्र |
| 11    | प्रयुक्त ईंधन/प्रयुक्त किए जाने वाले ईंधन का कुल क्लोरिफिक मूल्य (जीसीवी) | (केसीएएल/केजी)                        |                                  |
| 12    | प्रयुक्त/प्रयुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित गौण ईंधन                     |                                       | एलएसएचएस/एचएफओ/एचएसडी/अन्य       |
| 13    | इनलेट से टर्बाइन तक रेटित मुख्य स्टीम दबाव                                | कि.ग्रा./सेमी <sup>2</sup><br>(एबीएस) |                                  |
| 14    | इनलेट से टर्बाइन तक रेटित मुख्य स्टीम तापमान                              | सेंटीग्रेट                            |                                  |
| 15    | इनलेट से टर्बाइन तक रेटित स्टीम दबाव                                      | कि.ग्रा./सेमी <sup>2</sup><br>(एबीएस) |                                  |
| 16    | इनलेट से टर्बाइन तक रेटित पुनः हीट स्टीम तापमान                           | सेंटीग्रेट                            |                                  |
| 17    | विनिर्दिष्ट डिजाइन ईंधन की रेंज   |                                       |                                  |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| (i)   | साख   | (%)                       |   |
| (ii)  | आर्द्रता  | (%)*                      |   |
| (iii) | कुल क्लोरोफिक मूल्य<br>(जीसीवी)                                 | (%)                       |   |
| (iv)  | वाष्पशील मीटर (वीएम)  | (%)                       |   |
| 18    | अभिदेश स्थिति के अंतर्गत<br>गारंटीकृत टर्बाइन साइकल हीट<br>रेट  | (केसीएएल/<br>केडब्ल्यूएच) |   |
| 19    | गारंटीकृत टर्बाइन साइकल हीट<br>रेट के लिए अभिदेश स्थिति         |                           |   |
| (i)   | मेक अप  | (%)                       |   |
| (ii)  | एमसीआर  | (%)                       |   |
| (iii) |   | सेंटीग्रेड                |   |
| 20    | गारंटीकृत बायलर दक्षता<br>(जीसीवी आधार पर)                      | (%)                       |   |
| 21    | गारंटीकृत बायलर दक्षता के<br>लिए यथा विनिर्दिष्ट अभिदेश<br>ईंधन |                           |   |
| (i)   | साख   | (%)                       |   |
| (ii)  | आर्द्रता  | (%)                       |   |
| (iii) | कुल क्लोरोफिक मूल्य<br>(जीसीवी)                                 | (केसीएएल/केजी)            |   |
| (iv)  | वाष्पशील मीटर (वीएम)  | (%)                       |   |
| 22    | बायलर फीड पम्प की संख्या<br>तथा प्रकार                          |                           | स्टीम टर्बाइन चालक/विद्युत मोटर<br>चालक |
| 23    | शीतलन जल का स्रोत   |                           |   |
| 24    | प्रयुक्त शीतलन साइकल का<br>प्रकार                               |                           | एक बार श्रो/बंद साइकल                   |
| 25    | शीतलन टावर का प्रकार  |                           | प्राकृतिक ड्राफ्ट/प्रवृत्त ड्राफ्ट      |

टिप्पण :

|   |   |
|---|---|
| क | उत्पादन केंद्र, अर्थात् एफजीडी आदि की बाबत कोई अन्य सुसंगत जानकारी या कोई स्थल विनिर्दिष्ट जानकारी भी दी जा सकेगी।  |
| ख | “फायदाग्राही” से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2009 में यथा विनिर्दिष्ट अर्थ होगा।                                  |
| ग | “संस्थापित क्षमता” से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2009 में यथाविनिर्दिष्ट अर्थ होगा।                              |
| घ | “व्यापारिक क्षमता” से बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है जो दीर्घ-कालिक ऊर्जा प्रदाय करार के माध्यम से बेची गई ऊर्जा से भिन्न हो। |
| ङ | “लक्ष्य फायदाग्राही” से ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जिसकी उत्पादन कंपनी के साथ दीर्घ-कालिक ऊर्जा क्रय करार किए जाने की संभावना हो।                             |
| च | उपरोक्त ब्यौरों की साफ्ट प्रति (इलेक्ट्रानिक प्ररूप में) भी दी जाएगी।   |

प्ररूप - ख

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 10 की उपधारा (3) के अनुसरण में उत्पादन कंपनियों द्वारा  
फाइल किए जाने वाले तकनीकी ब्यौरे

गैस/द्रव/डीजल उत्पादन केंद्र

|       |   |         |               |
|-------|---|---------|---------------|
| 2     | उत्पादन कंपनी का नाम  |         |               |
| 3     | उत्पादन केंद्र का अवस्थान<br>(जिला तथा राज्य)   |         |               |
| 4     | प्रकार  |         | गैस/द्रव/डीजल |
| 5     | विद्यमान/निष्पादनाधीन परियोजना<br>की संस्थापित क्षमता तथा<br>संरूपण (यूनिटों की संख्या<br>/मेगावाट) |         |               |
| (i)   | जीटी-1  | मेगावाट |               |
| (ii)  | जीटी-2  | मेगावाट |               |
| (iii) | एसटी तथा ब्लाक - 1  | मेगावाट |               |
| (iv)  | .....   | मेगावाट |               |

3832 GI/04 - 2

|       |  |                                 |   |
|-------|--|---------------------------------|---|
| 6     | वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक/प्रत्याशित तारीख यूनिटवार :  |                                 | दिन/मास/वर्ष                            |
| (i)   | जीटी-1   |                                 |   |
| (ii)  | जीटी-2   |                                 |   |
| (iii) | एसटी तथा ब्लाक - 1   |                                 |   |
| (iv)  | .....  |                                 |   |
| 7     | प्रत्येक फायदाग्राही/प्रवर्ग के लिए संस्थापित क्षमता के प्रति निर्देश से प्रतिशतता अंश के साथ सहबद्ध फायदाग्राहियों/लक्ष्य फायदाग्राहियों/व्यापारिक क्षमता के ब्यौरे |                                 |   |
| (i)   | फायदाग्राही-1  | (%)                             |   |
| (ii)  | फायदाग्राही-2  | (%)                             |   |
| (iii) | .....  | (%)                             |   |
| (iv)  | .....  | (%)                             |   |
| 8     | सहबद्ध पारेषण प्रणाली या प्रस्तावित निष्क्रमण व्यवस्था   |                                 |   |
| 9     | विनिर्माता का नाम  |                                 |   |
| (i)   | गैस टर्बाइन  |                                 |   |
| (ii)  | स्टीम टर्बाइन  |                                 |   |
| (iii) | हीट रिकवरी स्टीम (एचआरएसजी)  |                                 |   |
| (iv)  | जनरेटर   |                                 |   |
| 10    | मुख्य ईंधन तथा स्रोत   |                                 | ..... देशी/आयातित                       |
| (i)   | लिक्विड खान  |                                 |   |
| (ii)  | परिवहन की पद्धति   |                                 | रेल/सड़क/समुद्र/रेल-सह-समुद्र/पाइप लाइन |
| 11    | प्रयुक्त ईंधन/प्रयुक्त किए जाने वाले ईंधन का कुल क्लोरिफिक मूल्य (जीसीवी)  | केसीएएल/एससीएम या केसीएएल/लिट्र |   |
| 12    | i) वैकल्पिक ईंधन (विनिर्दिष्ट करें)  |                                 |   |

|       |  |   |                                       |
|-------|--|---|---------------------------------------|
|       | ii) वैकल्पिक ईंधन का कुल क्लोरिफिक मूल्य         | केसीएएल/<br>एससीएम<br>या<br>केसीएएल/लिट्र |                                       |
| 13    | इनलेट से गैस टर्बाइन तक रेटिट गैस दबाव           | कि.ग्रा./सेमी <sup>2</sup><br>(एबीएस)     |                                       |
| 14    | इनलेट से गैस टर्बाइन तक रेटिट तापमान             | सेंटीग्रेट                                |                                       |
| 15    | इनलेट से टर्बाइन तक रेटिट स्टीम दबाव             | कि.ग्रा./सेमी <sup>2</sup><br>(एबीएस)     |                                       |
| 16    | इनलेट से स्टीम टर्बाइन तक रेटिट स्टीम तापमान     | सेंटीग्रेट                                |                                       |
| 17    | शीतलन जल का स्रोत                                |   |                                       |
| 18    | प्रयुक्त जल शीतलन साइकल का प्रकार                |   | एक बार थ्रो/ बंद साइकल                |
| 19    | शीतलन ट्रावर का प्रकार                           |   | प्राकृतिक ड्राफ्ट या प्रवृत्त ड्राफ्ट |
| 20    | गारंटीकृत कुल स्टेशन हीट दर                      |   |                                       |
| (i)   | संयुक्त साइकल पद्धति                             | (केसीएएल/<br>केडब्ल्यूएच)                 |                                       |
| (ii)  | ओपन साइकल पद्धति                                 | (केसीएएल/<br>केडब्ल्यूएच)                 |                                       |
| 21    | गारंटीकृत कुल स्टेशन हीट दर के लिए अभिदेश स्थिति |   |                                       |
| (i)   | मेक अप   | %   |                                       |
| (ii)  | एमसीआर   | %   |                                       |
| (iii) | डिजाइन इनलेट शीतलन जल तापमान                     | सेंटीग्रेट                                |                                       |
| (iv)  | एंबिएंट वायु तापमान                              | सेंटीग्रेट                                |                                       |
| (v)   | एंबिएंट वायु दबाव                                | (केजी/सेमी <sup>2</sup> )                 |                                       |
| (vi)  | अपेक्षित आर्द्रता                                | %   |                                       |
| 22    | विनिर्दिष्ट स्थल एंबिएंट वायु स्थिति             |   |                                       |
| (i)   | तापमान   | सेंटीग्रेट                                |                                       |
| (ii)  | दबाव   | (केजी/सेमी <sup>2</sup> )                 |                                       |
| (iii) | आर्द्रता   | %   |                                       |

## टिप्पण :

|   |   |
|---|---|
| क | उत्पादन केंद्र, अर्थात् एफजीडी आदि की बाबत कोई अन्य सुसंगत जानकारी या कोई स्थल विनिर्दिष्ट जानकारी भी दी जा सकेगी।  |
| ख | “फायदाग्राही” से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2009 में यथा विनिर्दिष्ट अर्थ होगा।                                  |
| ग | “संस्थापित क्षमता” से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2009 में यथाविनिर्दिष्ट अर्थ होगा।                              |
| घ | “व्यापारिक क्षमता” से बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है जो दीर्घ-कालिक ऊर्जा प्रदाय करार के माध्यम से बेची गई ऊर्जा से भिन्न हो। |
| ङ | “लक्ष्य फायदाग्राही” से ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जिसकी उत्पादन कंपनी के साथ दीर्घ-कालिक ऊर्जा क्रय करार किए जाने की संभावना हो।                             |
| च | उपरोक्त ब्यौरों की साफ्ट प्रति (इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में) भी दी जाएगी।   |

प्ररूप - ग

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 10 की उपधारा (3) के अनुपालन में उत्पादन कंपनियों द्वारा फाइल किए जाने वाले तकनीकी ब्यौरे

## हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पादन केंद्र

|       |   |         |                        |
|-------|---|---------|------------------------|
| 1     | उत्पादन कंपनी का नाम तथा पता  |         |                        |
| 2     | उत्पादन केंद्र का नाम   |         |                        |
| 3     | उत्पादन केंद्र का अवस्थान (जिला तथा राज्य)  |         |                        |
| 4     | प्रकार  |         | नदी से चलने वाला/तालाब |
| 5     | विद्यमान/निष्पादनाधीन परियोजना की संस्थापित क्षमता तथा संरूपण (यूनिटों की संख्या/मेगावाट) |         |                        |
| (i)   | यूनिट-1   | मेगावाट |                        |
| (ii)  | यूनिट -2  | मेगावाट |                        |
| (iii) | .....   | मेगावाट |                        |
| (iv)  | .....   | मेगावाट |                        |
| 6     | वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक/प्रत्याशित तारीख यूनिटवार :                                 |         | दिन/मास/वर्ष           |



|       |   |          |  |
|-------|---|----------|--|
| (i)   | यूनिट-1   |          |  |
| (ii)  | यूनिट-2   |          |  |
| (iii) | .....   |          |  |
| (iv)  | .....   |          |  |
| 7     | प्रत्येक फायदाग्राही/प्रवर्ग के लिए संस्थापित क्षमता के प्रति निर्देश से प्रतिशतता अंश के साथ सहबद्ध फायदाग्राहियों/लक्ष्य फायदाग्राहियों/मर्चेट क्षमता के ब्योरे |          |  |
| (i)   | फायदाग्राही-1   | (%)      |  |
| (ii)  | फायदाग्राही-2   | (%)      |  |
| (iii) | .....   | (%)      |  |
| (iv)  | .....   | (%)      |  |
| 8     | सहबद्ध पारेषण प्रणाली या प्रस्तावित निष्क्रमण व्यवस्था  |          |  |
| 9     | विनिर्माता का नाम   |          |  |
| (i)   | टर्बाइन<br>(फ्रैंचाइज/कप्लान/पैल्टान)   |          |  |
| (ii)  | जनरेटर  |          |  |
| 10    | डिजाइन ऊर्जा (एमयू)   | (एमयू)   |  |
| 11    | औसत हीट   | (एम)     |  |
| 12    | रेटिड हीट   | (एम)     |  |
| 13    | पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल)   | (एम)     |  |
| 15    | पूर्ण जलाशय स्तर तथा न्यूनतम ड्रा-डाउन स्तर के बीच विभिन्न स्तरों पर मशीन आउटपुट में फेरफार   | मेगावाट  |  |
| 16    | डिस्टिलिंग चैम्बर के लिए डिजाइन सिल्ट स्तर  |          |  |
| (i)   | इंलेट पर अधिकतम   | (पीपीएम) |  |
| (ii)  | आउटलेट पर अधिकतम  | (पीपीएम) |  |
| 17    | प्रत्याशित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन  | (एमयू)   |  |
| 18    | टर्बाइन की डिजाइन गारंटीकृत दक्षता  |          |  |

टिप्पण :

|   |  |
|---|--|
| क | हाइड्रो केंद्र की बाबत कोई अन्य सुसंगत जानकारी या कोई स्थल विनिर्दिष्ट जानकारी भी दी जाए ।   |
| ख | “फायदाग्राही” से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2009 में यथा विनिर्दिष्ट अर्थ होगा ।                                  |
| ग | “डिजाइन ऊर्जा” से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2009 में यथाविनिर्दिष्ट अर्थ होगा ।                                  |
| घ | “संस्थापित क्षमता” से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2009 में यथाविनिर्दिष्ट अर्थ होगा ।                              |
| ङ | “व्यापारिक क्षमता” से बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है जो दीर्घ-कालिक ऊर्जा प्रदाय करार के माध्यम से बेची गई ऊर्जा से भिन्न हो । |
| च | “लक्ष्य फायदाग्राही” से ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जिसकी उत्पादन कंपनी के साथ दीर्घ-कालिक ऊर्जा क्रय करार किए जाने की संभावना हो ।                             |
| छ | उपरोक्त ब्यौरों की साफ्ट प्रति (इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में) भी दी जाएगी ।   |

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2009

**F. No. L-7/138/(153)/2008-CERC.**—In exercise of powers conferred under Section 178 read with sub-section (3) of Section 10 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and of all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely :—

#### 1. Short Title and Commencement

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Furnishing of Technical Details by the Generating Companies) Regulations, 2009.
- (2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Submission of information:** Every generating company which, on the date of commencement of these regulations is operating or setting up a generating station referred to in clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of Section 79 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) shall furnish to the Commission, up-to-date details prescribed in the Forms A,B and C appended to these regulations, as applicable to the type of the generating station, separately for each stage of the generating station owned by it, indicating the status as on 1<sup>st</sup> April of the year, by 30<sup>th</sup> April of every year along with soft copy of the such details.

Provided that in case of a generating company proposing to set up a generating station after commencement of these regulations, the first report with the specified details shall be submitted at least three years before the projected date of commercial operation of the first unit of the generating station, proposed to be set up by it.

ALOK KUMAR, Secy.  
[ADVT-III/4/Exty./150/09]

FORM-A

TECHNICAL DETAILS TO BE FILED BY THE GENERATING COMPANIES IN COMPLIANCE OF  
SUB-SECTION (3) OF SECTION 10 OF THE ELECTRICITY ACT, 2003  
**Coal/Lignite Fired Thermal Generating Stations**

|       |  |                |
|-------|--|----------------|
| 1     | Name and address of the generating company   |                |
| 2     | Name of the generating station   |                |
| 3     | Location (District and State) of the generating station  |                |
| 4     | Type   | Coal /Lignite  |
| 5     | Installed capacity and configuration (number of units x MW) of existing/ under execution project : |                |
| (i)   | Unit -I  | MW             |
| (ii)  | Unit-II  | MW             |
| (iii) | .....  | MW             |
| (iv)  | .....  | MW             |
| 6     | Actual/expected dates of commercial operation, Unit-wise :   | DD / MM / YYYY |
| (i)   | Unit -I  |                |

|       |  |                               |                                |
|-------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| (ii)  | Unit-II  |                               |                                |
| (iii) | .....  |                               |                                |
| iv)   | .....  |                               |                                |
| 7     | Details of tied up beneficiaries/target beneficiaries/merchant capacity along with percentage share with reference to the installed capacity for each beneficiary/category |                               |                                |
| (i)   | Beneficiary - 1  | (%)                           |                                |
| (ii)  | Beneficiary - 2  | (%)                           |                                |
| (iii) | .....  | (%)                           |                                |
| iv)   | .....  | (%)                           |                                |
| 8     | Associated transmission system or proposed evacuation arrangement  |                               |                                |
| 9     | Name of manufacturer:  |                               |                                |
| (i)   | Steam generator  |                               |                                |
| (ii)  | Steam turbine  |                               |                                |
| (iii) | Generator:   |                               |                                |
| 10    | Main fuel and Source   |                               | _____ Indigenous/imported      |
| (i)   | Linked Mine  |                               |                                |
| (ii)  | Mode of Transport  |                               | MGR/Rail/Road/Sea/Rail-cum-Sea |
| 11    | Gross Calorific Value (GCV) of fuel used/to be used  | (Kcal/Kg)                     |                                |
| 12    | Secondary Fuel used/proposed to be used  |                               | LSHS/HFO/HSD/others-specify    |
| 13    | Rated Main Steam Pressure at inlet to turbine  | kg/cm <sup>2</sup><br>(abs.)  |                                |
| 14    | Rated Main Steam Temperature at inlet to turbine   | Centigrade                    |                                |
| 15    | Rated Reheat Steam pressure at inlet to turbine  | Kg/cm <sup>2</sup><br>(abs.): |                                |
| 16    | Rated Reheat Steam Temperature at inlet to turbine   | Centigrade                    |                                |
| 17    | Range of Design fuel specified   |                               |                                |
| i)    | Ash  | (%)                           | Max.<br>Min.                   |
| ii)   | Moisture   | (%)                           | Max.<br>Min.                   |
| iii)  | Gross Calorific Value (GCV)  | (Kcal/Kg)                     | Max.<br>Min.                   |
| iv)   | Volatile Matter (VM)   | (%)                           | Max.<br>Min.                   |
| 18    | Guaranteed Turbine Cycle Heat Rate under reference conditions  | (Kcal/kWh)                    |                                |
| 19    | Reference conditions for Guaranteed Turbine Cycle Heat Rate  |                               |                                |
| i)    | Make up  | (%)                           |                                |
| ii)   | MCR  | (%)                           |                                |
| iii)  | Design inlet cooling water temperature   | Centigrade                    |                                |
| 20    | Guaranteed boiler Efficiency(on GCV Basis)   | %                             |                                |
| 21    | Reference fuel as specified for guaranteed Boiler efficiency   |                               |                                |
| i)    | Ash  | (%)                           |                                |

|      |                                      |  |  |
|------|--------------------------------------|--|--|
| ii)  | Moisture                             | (%)  |  |
| iii) | Gross Calorific Value (GCV)          | (Kcal/Kg)                                      |  |
| iv)  | Volatile Matter (VM)                 | (%)  |  |
| 22   | Number and Type of Boiler Feed Pumps | Steam Turbine driven / Electrical Motor driven |  |
| 23   | Source of cooling water              |  |  |
| 24   | Type of cooling cycle used           | Once Through / Close cycle                     |  |
| 25   | Type of cooling Tower                | Natural Draft / Induced Draft                  |  |

**Note:**

|   |  |
|---|--|
| a | Any other relevant information or any site specific information in respect of generating station e.g FGD etc. may also be furnished.                     |
| b | "beneficiary" shall have the meaning as specified in Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulation, 2009.        |
| c | "Installed capacity" shall have the meaning as specified in Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulation, 2009. |
| d | "merchant capacity" means the quantum of power proposed to be sold, other than that sold through long-term power supply agreement.                       |
| e | "Target beneficiary" means an agency who is likely to be entering into a long-term power purchase agreement with the generating company.                 |
| f | A soft copy of above details (Electronic form) shall also be furnished.  |

**FORM-B**

**TECHNICAL DETAILS TO BE FILED BY THE GENERATING COMPANIES IN COMPLIANCE OF  
SUB-SECTION (3) OF SECTION 10 OF THE ELECTRICITY ACT, 2003  
Gas/Liquid/Diesel Generating Stations**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 | Name of the generating station   |  |  |
| 2 | Location (District and State) of the generating station  |  |  |
| 3 | Type   | Gas /Liquid fuel/Diesel                        |  |
| 4 | Installed capacity and configuration (number of units x MW) of existing/ under execution project :   | (Capacity of GT and ST to be given separately) |  |
|   | (i) GT-I   | MW   |  |
|   | (ii) GT-II   | MW   |  |
|   | (iii) ST & Block-I   | MW   |  |
|   | iv) .....  | MW   |  |
| 5 | Actual/expected dates of commercial operation, Unit-wise :   | DD / MM / YYYY                                 |  |
|   | (i) GT-I   |  |  |
|   | (ii) GT-II   |  |  |
|   | (iii) ST & Block-I   |  |  |
|   | iv) .....  |  |  |
| 6 | Details of tied up beneficiaries/target beneficiaries/merchant capacity along with percentage share with reference to the installed capacity for each beneficiary/category |  |  |
|   | (i) Beneficiary - 1  | (%)  |  |
|   | (ii) Beneficiary - 2   | (%)  |  |
|   | (iii) .....  | (%)  |  |
|   | iv) .....  | (%)  |  |

3832 GT/09-4

|    |   |                               |                                      |
|----|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| 7  | Associated transmission system or proposed evacuation arrangement |                               |                                      |
| 8  | Name of manufacturer:   |                               |                                      |
|    | (i) Gas Turbine   |                               |                                      |
|    | (ii) Steam Turbine  |                               |                                      |
|    | (iii) Heat Recovery Steam Generator (HRSG)                        |                               |                                      |
|    | (iv) Generator  |                               |                                      |
| 9  | Main fuel and Source  |                               | (Indigenous/imported)                |
|    | (i) Linked Source   |                               |                                      |
|    | (ii) Mode of Transport  |                               | Rail/Road/Sea/Rail-cum-Sea/Pipe line |
| 10 | Gross Calorific Value (GCV) of fuel used/to be used               | Kcal/SC<br>M or<br>Kcal/litre |                                      |
| 11 | i) Alternate fuel (Specify)                                       |                               |                                      |
|    | ii) Gross Calorific Value (GCV) of alternate fuel                 | Kcal/SC<br>M or<br>Kcal/litre |                                      |
| 12 | Rated Gas Pressure at inlet to gas turbine                        | kg/cm <sup>2</sup><br>(abs.)  |                                      |
| 13 | Rated Temperature at inlet to gas turbine (tit)                   | Centigrade                    |                                      |
| 14 | Rated Steam pressure at inlet to steam turbine                    | Kg/cm <sup>2</sup> (abs.)     |                                      |
| 15 | Rated Steam Temperature at inlet to steam turbine                 | Centigrade                    |                                      |
| 16 | Source of Cooling water   |                               |                                      |
| 17 | Type of Water Cooling Cycle used                                  |                               | Once Through /Closed cycle           |
| 18 | Type of Cooling Tower   |                               | Natural Draft or Induced Draft       |
| 19 | Guaranteed Gross Station Heat Rate                                |                               |                                      |
|    | i) Combined cycle mode  | (Kcal./kWh)                   |                                      |
|    | ii) Open cycle mode   | Kcal./kWh)                    |                                      |
| 20 | Reference condition for Guaranteed Gross Station Heat Rate        |                               |                                      |
|    | i) Make up  | %                             |                                      |
|    | ii) MCR   | %                             |                                      |
|    | iii) Design Inlet Cooling Water Temperature                       | Centigrade                    |                                      |
|    | iv) Ambient Air Temperature                                       | Centigrade                    |                                      |
|    | v) Ambient Air Pressure   | (kg/cm <sup>2</sup> )         |                                      |
|    | vi) Relative Humidity   | %                             |                                      |
| 21 | Specified Site Ambient Air Conditions:                            |                               |                                      |
|    | i) Temperature  | Centigrade                    |                                      |
|    | ii) Pressure  | (kg/cm <sup>2</sup> )         |                                      |
|    | iii) Humidity   | %                             |                                      |

**Note:**

|   |  |
|---|--|
| a | Any other relevant information or any site specific information in respect of generating station may also be furnished.                                |
| b | beneficiary" shall have the meaning as specified in Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulation, 2009.       |
| c | Installed capacity" shall have the meaning as specified in Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulation, 2009 |

|   |   |
|---|---|
| d | merchant capacity* means the quantum of power proposed to be sold, other than that sold through long-term power supply agreement;       |
| e | Target beneficiary* means an agency who is likely to be entering into a long-term power purchase agreement with the generating company; |
| f | A soft copy of above details (Electronic form) shall also be furnished.   |

FORM-C

TECHNICAL DETAILS TO BE FILED BY THE GENERATING COMPANIES IN COMPLIANCE OF  
SUB-SECTION (3) OF SECTION 10 OF THE ELECTRICITY ACT, 2003  
**Hydro Electric Generating Stations**

|       |  |                      |
|-------|--|----------------------|
| 1     | Name and address of the generating company   |                      |
| 2     | Name of the generating station   |                      |
| 3     | Location (District and State) of the generating station  |                      |
| 4     | Type   | Run of River/Pondage |
| 5     | Installed capacity and configuration (number of units x MW) of existing/ under execution project :   |                      |
| (i)   | Unit -I  | MW                   |
| (ii)  | Unit-II  | MW                   |
| (iii) | .....  | MW                   |
| (iv)  | .....  | MW                   |
| 6     | Actual/expected dates of commercial operation, Unit-wise :   | DD / MM / YYYY       |
| (i)   | Unit -I  | MW                   |
| (ii)  | Unit-II  | MW                   |
| (iii) | .....  | MW                   |
| (iv)  | .....  | MW                   |
| 7     | Details of tied up beneficiaries/target beneficiaries/merchant capacity along with percentage share with reference to the installed capacity for each beneficiary/category |                      |
| (i)   | Beneficiary - 1  | (%)                  |
| (ii)  | Beneficiary - 2  | (%)                  |
| (iii) | .....  | (%)                  |
| (iv)  | .....  | (%)                  |
| 8     | Associated transmission system or proposed evacuation arrangement  |                      |
| 9     | Name of manufacturer:  |                      |
| (i)   | Turbine (Francis/Kaplan/Pelton)  |                      |
| (ii)  | Generator  |                      |
| 10    | Design Energy (MU)   | (MU)                 |
| 11    | Average Head   | (M)                  |
| 12    | Rated Head   | (M)                  |
| 13    | Full Reservoir Level (FRL)   | (M)                  |
| 14    | Minimum Draw Down Level (MDDL)   | (M)                  |
| 15    | Variation in machine output at different levels between Full Reservoir Level and Minimum Draw Down Level   | MW                   |

|    |   |       |  |
|----|---|-------|--|
| 16 | Design Silt Levels for desilting chamber: |       |  |
|    | i) Maximum at inlet                       | (ppm) |  |
|    | ii) Maximum at outlet                     | (ppm) |  |
| 17 | Expected annual energy generation         | (MU)  |  |
| 18 | Design guaranteed efficiency of turbine   |       |  |

**Note:**

|   |  |
|---|--|
| a | Any other relevant information or any site specific information in respect of hydro generating station may also be furnished.                            |
| b | "beneficiary" shall have the meaning as specified in Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulation, 2009.        |
| c | "design energy" shall have the meaning as specified in Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulation, 2009.      |
| d | "Installed capacity" shall have the meaning as specified in Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulation, 2009. |
| e | "merchant capacity" means the quantum of power proposed to be sold, other than that sold through long-term power supply agreement;                       |
| f | "Target beneficiary" means an agency who is likely to be entering into a long-term power purchase agreement with the generating company;                 |
| g | A soft copy of above details (Electronic form) shall also be furnished.  |